राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018,फोन– 0141–2552796

क्रमांकः प.14(135)RSSB/अर्थना/वि.वि./वा.चा./भर्ती/2024/-00219 **दिनांक : यथाहस्ताक्षर**

<u>–:: प्रेस विज्ञप्ति ::–</u>
<u>वाहन चालक सीधी भर्ती –2024</u>

बोर्ड द्वारा वाहन चालक सीधी भर्ती–2024 हेतु दिनांक 11.12.2024 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 11.02.2025 को जारी कर योग्य अभ्यर्थियों से **<u>दिनांक 27.02.2025 से दिनांक 28.03.2025 तक</u>** ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। बोर्ड द्वारा वाहन चालक सीधी भर्ती–2024 के पदों पर परीक्षा **दिनांक 23.11.2025** को आयोजित करवाई जा चुकी है।

बोर्ड द्वारा जारी वाहन चालक भर्ती की विज्ञप्ति की बिन्दु संख्या 17(ii) ऑनलाईन आवेदन में संशोधन प्रकिया के अनुसार उक्त भर्ती के ऑनलाईन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार हेतु **दिनांक 02.12.2025 से दिनांक 08.12.2025** को 23.59 बजे तक ऑनलाईन संशोधन हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी **OTR** मे दर्ज सूचनाओं, फोटो एवं हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य सूचनाओं में निर्धारित रू. 300/–का शुल्क ऑनलाईन भुगतान कर संशोधन कर सकेंगे। इस दौरान अभ्यर्थी अपनी विभाग की प्राथमिकता क्रम में भी संशोधन कर सकेगें। उक्त समय सीमा के पश्चात् किसी भी स्थिति में बोर्ड द्वारा कोई संशोधन नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। आवेदन मे संशोधन हेतु बोर्ड द्वारा कोई भी ऑफलाईन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

नोटः–

1.अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र पुनः ध्यान से देखें, विशेषकर श्रेणी, प्राथमिकता क्रम, वैवाहिक स्थिति, टीएसपी क्षेत्र, इत्यादी में इस दौरान आवश्यक संशोधन कर लेवें। इसके पश्चात् कोई अवसर नही दिया जावेगा। इससे परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव होते है।

2. अनुभव प्रमाण पत्र व लाईसेंस संबंधी सूचना में कोई संशोधन नहीं किया जायेगा।

सचिव

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–</u>

क्रमांकः प.14(135)RSSB/अर्थना/वि.वि./वा.चा./भर्ती/2024/-00219 **दिनांक : यथाहस्ताक्षर**

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त प्रेस विज्ञप्ति को समाचार पत्रों के दैनिक संस्करणों में एक मुख्य अखिल भारतीय दैनिक समाचार पत्र एवं एक वृहत परिचालन वाले राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर बिल भुगतान हेतु बोर्ड को भिजवाये जाने का श्रम करावें।
2. प्रभारी अधिकारी आई0टी अनुभाग, RSSB जयपुर को प्रेस विज्ञप्ति बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त अभ्यर्थियों के मोबाईल नं0 एवं ई–मेल आई डी पर सूचना भेजने हेतु प्रेषित है।

सचिव

Signature Not Verified
Digitally Signed by Priti Mathur
Designation : Secretary
Date :01-12-2025 05:58:23

RajKaj Ref No.: 19129593

eSign DSC